

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1665/ 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 07/01/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट कफल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.455 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या-45918/2020)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक - 565/12-1, दिनांक-2.09.2024।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत, के पत्रांक- 2762/12-1 दिनांक- 04.01.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।
संलग्न- (उपरोक्तानुसार)।

भवदीय

(डॉ. धीरूज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,

अल्मोड़ा।

27/1/2025

07 JAN 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 2762 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 04-01-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय - जनपद चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट कफल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.455 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/45918/2020

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत की पत्र संख्या 57/2सी दिनांक 03.01.2025 महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की है जिसका अवलोकन कर निम्न बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है।

क्र.सं.	आपत्तियाँ	निराकरण
1.	आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित पत्र में संलग्नों को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त को परीक्षणोपरान्त ऑनलाईन पार्ट-1 एवं पार्ट-2 में संलग्न अपलोड नहीं किये गये हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।
2.	प्रस्ताव का ऑनलाईन परीक्षणोपरान्त यह भी दृष्टिगत हुआ है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के०एम०एल० फाईल अपलोड करते हुये क्षेत्रफल में त्रुटि अंकित है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित कोई भी सूचना ऑनलाईन पार्ट-2 पर अपलोड नहीं की गयी है।	इस कार्यालय द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के०एम०एल० फाईल पार्ट-2 में निश्चित स्थान पर अपलोड कर दी गयी है।
3.	प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त यह भी दृष्टिगत हुआ है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा विषय सूची एवं पृष्ठों में पृष्ठ सं० अंकित नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नक:- सन्दर्भित पत्र।

भवदीय

(नवीन चन्द्र पन्त)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक:- 2762 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

& Fax No. 05965-230034

E-Mail : eechampawat@rediffmail.com

E-Mail : eechampawat@gmail.com

पत्रांक :- 57/2सी

दिनांक :- 07/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग चम्पावत।


विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत घतुरकोट-कफल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.455 हे० वनभूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बंध में प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/45918/2020)


संदर्भ:- ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 02-09-2024

आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित पत्र में संलग्नों को आनलाईन पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त को परीक्षणोपरान्त आनलाईन पार्ट-1 एवं पार्ट-11 में संलग्न अपलोड नहीं किये गये है।	उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।
प्रस्ताव का आनलाईन परीक्षणोपरान्त यह भी वृष्टिगत हुआ है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट-11 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के०एम०एल० फाईल के स्थान पर प्रस्तावित समरेखन की के०एम०एल० फाईल अपलोड करते हुये क्षेत्रफल में त्रुटि अंकित है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बंधित कोई भी सूचना आनलाईन पार्ट-11 पर अपलोड नहीं की गयी है।	उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।
प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त यह भी वृष्टिगत हुआ है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा विषय सूची एवं पृष्ठों में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं की गयी है।	उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार, (पाँच प्रतियों में)।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत।


अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत।